

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल०-144/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक :

डा० वर्षा प्रिया, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काँटी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रथम संतान के देखभाल हेतु दिनांक-28.07.2025 से 31.01.2026 तक कुल-188 (एक सौ अठासी) दिनों का उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक- 2186(25), दिनांक-14.10.2025 द्वारा निर्गत शिशु देखभाल अवकाश आदेयता के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात् डा० वर्षा प्रिया के पक्ष में 542 (पाँच सौ बेयालीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक )  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-144/2025-

90(2)

पटना, दिनांक 20/01/26

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काँटी, मुजफ्फरपुर/ डा० वर्षा प्रिया, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काँटी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wdhanik 20/01/26  
सरकार के उप सचिव  
2